[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 05/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 जनवरी, 2020

सा.का.नि…………(अ).-- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (99) के साथ पठित धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में,--

(क) अपर या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केंद्रीय कर ; और

(ख) उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक, केंद्रीय कर द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए अपर या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर ,

को उक्त अधिनियम की धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता है ।

[फा.सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार